

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

सीबीएसई/ समन्वय/प्राइवेट-X/2023-24/2023

05/09/2023

नोटिस

कक्षा-X परीक्षा-2024 के लिए प्राइवेट छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म की प्रस्तुति

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फरवरी/मार्च/अप्रैल-2024 के माह में बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2024 के साथ-साथ प्राइवेट छात्रों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा:

क्रम सं.	श्रेणी				
1.	सत्र 2022-23 के छात्र जिन्हें 2023 परीक्षा के परिणाम में अनिवार्य पुनरावृत्ति (ESSENTIAL				
	REPEAT) घोषित किया गया है।				
2.	सत्र 2022-23 के छात्र जिन्हें बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2023 में कम्पार्टमेंट में रखा गया है, यदि				
	उन्हें प्रथम अवसर में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया है।				
3.	सत्र 2022-23 के छात्र जिन्हें प्रथम अवसर कम्पार्टमेंट परीक्षा-2023 में कम्पार्टमेंट में रखा गया				
	है।				
4.	जिन छात्रों को 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में अनुतीर्ण/ अनिवार्य पुनरावृत्ति				
	(ESSENTIAL REPEAT) घोषित किया गया है।				
5.	2023 के उत्तीर्ण छात्र जो एक या अधिक विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित				
	होना चाहते हैं।				
6.	2022 और 2023 के उत्तीर्ण छात्र जो एक अतिरिक्त विषय में उपस्थित होना चाहते हैं।				
7.	छात्राएं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) की वास्तविक निवासी हों। यह				
	योजना केवल परीक्षा 2024 के लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद, यह योजना बंद कर दी जाएगी।				
8.	विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) के				
	वास्तविक निवासी हैं और जो सामान्य संस्थानों में उपस्थित होने में कठिनाई होने के संबंध में				
	उचित साक्ष्य प्रस्तुत करें। यह योजना केवल परीक्षा 2024 के लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद,				
	यह योजना बंद कर दी जाएगी।				

तदनुसार, 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए उपर्युक्त श्रेणियों में रखे गए विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया 12 सितंबर 2023 से शुरू होगी।

छात्र सीबीएसई की वेबसाइट <u>https://www.cbse.gov.in/newsite/private/index.html</u> पर उपलब्ध "ट्यक्तिगत परीक्षार्थी" लिंक के माध्यम से आवेदन करेंगे।

सभी ध्यान दें कि इन श्रेणियों के छात्रों के लिए परीक्षा https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2024.html लिंक पर उपलब्ध पाठ्यविवरण के आधार पर आयोजित की जाएगी।

माता-पिता/अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले निम्नलिखित अनुलग्नकों को ध्यान से पढ़ लें

- i. पात्रता मानदंड **अनुलग्नक 1**
- ii. सामान्य जानकारी अन्लग्नक 2



Digital India



(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

- iii. ऑनलाइन आवेदन जमा करने और फोटो अपलोड करने के लिए विस्तृत अन्देश- अन्लग्नक 3
- iv. शुल्क सारणी अनुलग्नक 4
- v. विषय सूची अनुलग्नक 5
- vi. विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए छूट/रियायतों का विवरण परिपत्र दिनांक 12.04.2019 द्वारा परिचालित किया गया है और निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination_circular/2019/5_CIRCULAR.pdf

vii. क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार और संपर्क सूत्र निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html#reg

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- i. सभी फॉर्म और शुल्क **सख्ती के साथ** केवल दी गई समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे।
- ii. ऑफलाइन मोड में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- iii. अंतिम तिथि के बाद किसी भी आधार पर कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- iv. बिना श्ल्क के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- v. सभी गतिविधियों के लिए शुल्क ऑनलाइन भुगतान मोड अर्थात नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय) के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
- vi. ऑफलाइन मोड अर्थात डीडी /पोस्टल ऑर्डर / मनी ऑर्डर / चेक आदि में कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- vii. बोर्ड आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2016 में परिभाषित दिव्यांग छात्रों को कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है। ये छूट/रियायतें परिपत्र दिनांक 12.04.2019 द्वारा परिचालित की गई हैं। यह परिपत्र निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination Circular/2019/5 CIRCULAR.pdf

- viii. छूट/रियायत प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट (नि:शक्तता प्रमाण पत्र) की एक प्रति अपलोड करनी होगी।
- ix. आवेदन पत्र जमा करते समय, बोर्ड की 2023 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के संबंध में विवरण ऑनलाइन प्रणाली में स्वतः उत्पन्न होगा और आवेदको को दिखाई देगा।
- x. 2022 या उससे पहले के छात्रों को ऑनलाइन आवेदन /पोर्टल पर अनुक्रमांक और उत्तीर्णता वर्ष आदि जैसा विवरण जमा करना होगा। यह सूचना पूर्णत: सही होनी चाहिए। गलत सूचना से आवेदन फॉर्म के निरस्त हो








(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION





जाएगा।

xi. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टियां करता/ती है या गलत बयान देता/ती है या झूठे दस्तावेज पेश करता/ती है, तो उसका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा, भुगतान किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अन्चित पद्धति का इस्तेमाल करने वाला माना जाएगा और तदन्सार कार्रवाई की जाएगी।

xii. ऑनलाइन फॉर्म में भरे गए शहर के च्नाव के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे।

xiii. यह देखा गया है कि कुछ अभ्यर्थी आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि को पूरा करते हैं लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा। बाद में, उनकी अभ्यर्थिता को स्वीकार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

xiv. अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म को स्वयं भरने की सलाह दी जाती है। ऐसा कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा कि साइबर कैफे आदि से गलती हुई है, और आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

xv. केवल फॉर्म जमा करने और शुल्क का भुगतान करने से अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। उसकी पात्रता बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

xvi. परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करना पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि फॉर्म की हार्ड प्रति सीबीएसई को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निम्नलिखित सूचित किया जाता है:

- 1. छात्राएं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी दिल्ली की वास्तविक निवासी हैं और वह कक्षा X में उपस्थित होने की आयु की है, को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करते समय यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी।
- 2. विशेष आवश्यकता वाले (सीडब्ल्यूएसएन) विद्यार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) का एक वास्तविक निवासी है और उसने कक्षा X में उपस्थित होने की आयु प्राप्त कर ली है, को सामान्य संस्थाओं में उपस्थित होने में कठिनाई होने का समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करते समय यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी की गई निशक्तता प्रमाण पत्र सहित मूल-निवास प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी।

पात्रता, अंतिम तिथि और विलंब शुल्क के लिए, कृपया अनुलग्नक देखें। किसी भी प्रश्न के लिए, सीबीएसई हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8002 पर सभी कार्य दिवसों में स्बह 9.30 बजे से साँय 5.30 के बीच कॉल करें।

हस्ता -/
(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति: वेब प्रबंधक को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

अनुलग्नक -1

माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा X) के लिए प्राइवेट छात्रों के रूप में आवेदन करने की पात्रता:

श्रेणी	पात्रत	मानदंड					
सभी विषय	(क)	जिन छात्रों का परिणाम माध्यमिक परीक्षा (कक्षा X) 2023 में अनिवार्य पुनरावृत्ति के रूप में घोषित किया गया हो।					
(5/6/7		अथवा					
विषय)	(ख)	जिन छात्रों का परिणाम वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 या 2022 में माध्यमिक स्कूल					
		परीक्षा कक्षा- X में अनुतीर्ण/ अनिवार्य पुनरावृत्ति घोषित किया गया हो।					
		अथवा					
	(ग)	जिन छात्रों ने नियमित अध्ययन पूरा कर लिया है और उन्हें माध्यमिक परीक्षा में बैठने					
		के लिए अनुक्रमांक आवंटित किया गया था, लेकिन माध्यमिक परीक्षा कक्षा X 2023 में					
		उपस्थिति में कमी को छोड़कर, चिकित्सा कारणों से कक्षा X परीक्षा में उपस्थित नहीं हो					
		के।					
		अथवा					
	(ঘ)	जिन छात्रों का दो विषय में कंपार्टमेंट आया है, वे 5/6/7 विषयों में बैठने का विकल्प					
		चुन सकते हैं, जिसमें वे बोर्ड की परीक्षा 2023 में उपस्थित हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी को					
		ऑनलाइन आवेदन करते समय "अनिवार्य पुनरावृत्ति" को अपनी श्रेणी चुनना चाहिए।					
		अथवा					
	(র)	दिव्यांग विद्यार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एनसीटी दिल्ली (के वास्तविक निवासी हैं, जो जिन विषयों में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण/परीक्षा शामिल नहीं है, उनमें सामान्य संस्थानों में उपस्थित होने में कठिनाई होने का उचित साक्ष्य पेश करते हैं। इस सबंध में, ऑनलाइन आवेदन करते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले छात्र प्रायोगिक घटक वाले विषयों को नहीं ले सकते हैं।					
		यह योजना केवल परीक्षा 2024 के लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद, यह योजना बंद कर दी जाएगी।					
		अथवा					
	(च)	छात्राएं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वास्तविक निवासी हैं और (एनसीटी दिल्ली) कक्षाX में उपस्थित होने की आयु प्राप्त कर ली हो:					
		(i) यदि वह स्कूल के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हो गई होती; अथवा					
		(ii) नियमित अभ्यर्थी के रूप में कक्षा VIII उतीर्ण होने के बाद दो वर्ष और कक्षा IX उतीर्ण होने के बाद एक वर्ष					
		और (iii) निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें पूरी करती हो					
		(क) कि उसने उचित मार्गदर्शन में अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को प्राइवेट रूप से किया है; तथा					







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

	(ख) कि वह बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक स्कूल में पढ़ने से असमर्थ है अथवा या					
	ऐसे अन्य कारण हैं जिनके कारण उसे प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित					
	होना पड़ा है।					
	(iv) इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाली छात्राएं प्रैक्टिकल घटक वाले विषय नहीं					
	ले सकती। तथापि वे प्रैक्टिकल के साथ गृह विज्ञान ले सकती हैं।					
	(v) यह योजना केवल परीक्षा 2024 के लिए उपलब्ध है। इसके बाद, यह योजना बंद					
	कर दी जाएगी।					
कंपार्ट्मेंट	जिन छात्रों का परिणाम बोर्ड मुख्य और सप्लमेन्ट्री परीक्षा 2023 में कम्पार्टमेंट के रूप में					
	घोषित किया गया है, वे केवल उसी विषय में आवेदन कर सकते हैं जिसमें उन्हें कम्पार्टमेंट में					
	रखा गया है। ऐसे छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी श्रेणी का चयन कम्पार्टमेंट					
	के रूप में करना चाहिए।					
प्रदर्शन में	केवल ऐसे छात्र जिन्होंने 2023 में बोर्ड की परीक्षा उतीर्ण की है, एक या एक से अधिक विषयों					
स्धार	में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए आवेदन कर सकता/सकती है, बशर्त कि वे 2023 में					
3	आयोजित परीक्षा में उन्हीं विषयों में शामिल हए हों।					
	तथापि, एक छात्र जिसने वोकेशनल योजना के तहत बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह					
	succeeding वर्ष या following वर्ष में मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार के लिए प्न:					
	उपस्थित हो सकता है, बशर्ते उन्होंने इस बीच में उच्चतर अध्ययन नहीं किया हो।					
अतिरिक्त	अत्रों ने बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे संलग्न की गई विषयों की सूची में से अतिरिक्त					
विषय	विषय के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के 02 वर्षों के भीतर आवेदन कर सकते हैं (छात्र जो 2022					
	या 2023 में उत्तीर्ण हए हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं)। हालांकि, छात्र प्रैक्टिकल कार्य					
	वाले विषय के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परियोजना घटक वाले विषयों					
	को लेने की अनुमति है।					
नोट # 1	प्रदर्शन में सुधार के लिए आवेदन करने वाले छात्र अतिरिक्त विषय और इसके विपरीत (vice-					
	versa) उपस्थित होने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।					
नोट # 2	केवल वे छात्र जिन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, वे अन्य शर्तों के अधीन प्रदर्शन में स्धार या					
	अतिरिक्त विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं।					
	and the state of the analysis of the state o					







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



<u>अनुलग्नक -2</u>

	सामान्य सूचना							
1.	एक आवेदन फॉर्म							
	आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए छात्र केवल एक आवेदन पत्र भर सकता है। यदि							
	छात्र ने एक आवेदन किया है, उसे किसी अन्य श्रेणी के अंतर्गत प्न: आवेदन करने के लिए अन्मति							
	नहीं है। अतः छात्र अपनी श्रेणी और अन्य विवरणों का चयन सावधानीपूर्वक करें।							
2.	पाठ्यविवरण							
	छात्रों की परीक्षा परीक्षा के वर्ष के लिए निर्धारित विषयों और पाठ्यविवरण में ही ली जाएगी।							
	अभ्यर्थी को फॉर्म भरने से पहले सीबीएसई वेबसाइट लिंक www.cbseacademic.in/curriculum.html पर उपलब्ध पात्रता और उत्तीर्णता मानदंड के साथ-साथ							
	वर्तमान पाठ्यचर्या और अध्ययन योजना को ध्यान से अवश्य पढ़ लेना चाहिए।							
3.	जिन विषयों में प्रयोगशाला अभ्यास शामिल है							
	प्राइवेट अभ्यर्थी उन विषयों को नहीं ले सकते हैं जिनमें प्रयोगशाला अभ्यास शामिल है, हालांकि,							
	महिला प्राइवेट छात्र (केवल दिल्ली) प्रैक्टिकल के साथ गृह विज्ञान की ले सकती हैं। इसी तरह, दृष्टिबाधित (अंधापन) (केवल दिल्ली) वाले अभ्यर्थियों के लिए संगीत विषय के किसी							
	कोड में से एक अर्थात (31 या 032 या 033 या 034 या 035 या 36 की पेशकश करने का							
	विकल्प है।							
4.	विषय चयन							
	आवेदक केवल उन्हीं विषयों के लिए आवेदन कर सकेगा जो सिस्टम में स्वतः जनित हैं।							
5.	भाषाओं के समक्ष विषय कोड का दर्शाते समय सावधानी बरतना							
	भाषाओं के समक्ष विषय कोड को इंगित करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि एक से अधिक							
	प्रकार के कोर्स हैं। भाषा के लिए, मीडियम कोड की आवश्यकता नहीं है।							
6.	नया अनुक्रमांक							
	वर्ष 2024 में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड द्वारा नया अनुक्रमांक दिया जाएगा।							
	किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को पिछले वर्ष के अनुक्रमांक के साथ उपस्थित होने की अनुमति							
7	नहीं दी जाएगी।							
7.	परीक्षा केंद्र							
	एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र अंतिम होगा और परीक्षा केंद्र बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। छात्र द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरी गई शहर की पसंद के आधार पर बोर्ड द्वारा							
	परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा।							
8.	सही डाक पता							
	आवेदक को सही डाक पता देना अपेक्षित होगा।							
9.	शुल्क का भुगतान							
	भुगतान या तो आपके अपने खाते/डेबिट/क्रेडिट कार्ड या आपके माता-पिता/भाई-बहन के							
	खाते/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किया जाना चाहिए ताकि यदि कोई भी धनवापसी हो तो वह आपको मिले							
	तथा किसी और को नहीं।							
10.	फोटो और हस्ताक्षर की जेपीजी फाइलों का आकार							
	अनुलग्नक 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को अपने फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई							
11	जेपीजी फाइल अपलोड करनी है जो 40 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंकतालिका और प्रमाण पत्र को निर्गत करना							
11.								
	(क) पिछले वर्ष की परीक्षा की मूल अंकतालिका और प्रमाणपत्र सीबीएसई को नहीं देना है। (ख) 2024 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने के बाद							
	2024 परीक्षा की अंकतालिका और प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।							
	בטבד ולושוו איז טואלוווינואיז טוול איזוריז או טוולו ואיאו טוולייון							







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

	(ग)	प्रदर्शन में स्ध	गदर्शन में सुधार या अतिरिक्त विषय (विषयों) के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को एक					
	` '		ांकपत्र सह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो केवल उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों					
		को दर्शाता हो						
	(ঘ)	समेकित अंक	पत्र एवं प्रमाणपत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा जो कि दूसरे					
	` ′		हम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल होंगे और 2024 में उक्त कम्पार्टमेंट परीक्षा में					
			ंगे। समेकित अंकतालिका और प्रमाणपत्र में मुख्य /स्पलमेंट्री 2023 में आयोजित					
			ा में उत्तीर्ण विषयों में प्राप्त अंक होंगे और साथ ही दवितीय अवसर कम्पार्टमेंट					
		परीक्षा में उप	स्थिति वाले विषय में प्राप्त अंक भी होंगें।					
	(컂)	बोर्ड प्रत्येक ि	वेषय में अलग से प्राप्त अंकों को इंगित करते हुए अंकपत्र सह उत्तीर्णता प्रमाण					
		पत्र जारी करत	ता है। बोर्ड दवारा कुल अंक/प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया जाता है। जो अभ्यर्थी					
		6/7 विषय ले	ते हैं और सभी 6/7 विषयों में उत्तीर्ण हैं, तो प्रतिशत की गणना कॉलेज/ संस्थान					
		के मानदंडों वे	मानदंडों के अनुसार की जानी है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है।					
12.	प्रवेश	पत्र और शैक्षिव	रु दस्तावेज					
	प्रवेश	पत्र और शैक्षिव	क दस्तावेज निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किए जाएंगे:					
	दिल्ली	ो से बाहर केंद्रों	से परीक्षाओं में उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थियों के लिए					
	(क)	प्रवेश पत्र	त्र अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट <u>www.cbse.nic.in</u> से अपना प्रवेश पत्र					
			डाउनलोड कर सकेंगे।					
	(ख)	मूल	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मूल अंकतालिका और प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा					
		अंकतालिका	आवेदन फॉर्म में दिए गए आवासीय पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा।					
		एवं प्रमाण						
		पत्र						
	उन 3	<u> भ्यर्थियों के लि</u>	रेए जो दिल्ली के केंद्रों से परीक्षा में शामिल होंगे।					
	(ग)	प्रवेश पत्र	पात्र अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट <u>www.cbse.nic.in</u> से अपना प्रवेश पत्र					
			डाउनलोड कर सकेंगे।					
	(ঘ)	मूल	मूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा उस परीक्षा					
		अंकतालिका	केंद्र पर भेजा जाएगा जहां अभ्यर्थी परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था। अभ्यर्थी					
		एवं प्रमाण	रूल प्रवेश पत्र प्रस्तुत करके परीक्षा केंद्र से अंकतालिका और प्रमाण पत्र प्राप्त					
		पत्र	कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र परिणाम घोषित होने के महीने से एक वर्ष के लिए					
			मूल दस्तावेज अपने पास रखेगा और उसके बाद छोड़े गए दस्तावेजों को क्षेत्रीय					
			कोर्यालय, दिल्ली पूर्व या दिल्ली पश्चिम, जैसा भी मामला हो, को वापस कर					
			दिया जाएगा।					







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)





(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

अनुलग्नक-3

	प्राइवेट छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए श्रेणीवार अन्देश						
निम्न	नेम्न श्रेणियों के तहत उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए-						
(क)	अन्	तीर्ण/अनिवार्य पुनरावृत्ति/ कम्पार्ट्मेंट/ प्रदर्शन में सुधार					
	i	अभ्यर्थी के नाम, पिता/अभिभावक का नाम, माता का नाम आदि का विवरण ऑनलाइन प्रणाली में उनके संबंध में स्वतः उत्पन्न होगा जो 2023 में आयोजित बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। 2022 की परीक्षा (या उससे पहले) के छात्रों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरने की आवश्यकता होगी।					
	ii बोर्ड परीक्षा के अपने अनुक्रमांक, स्कूल संख्या और केंद्र संख्या (जैसा कि आपके अंकतालिका में दिया गया है) का सही संयोजन/combination भरें, जहां भी उपलब्ध हो।						
	iii यदि गलत विवरण भरा जाता है, तो आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा और एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।						
	iv छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए प्रैक्टिकल/आंतरिक आकलन/परियोजना आदि अंकों को आगे बढ़ाया जाएगा या यथानुपात अंक दिए जाएंगे या प्रैक्टिकल परीक्षा पुन: आयोजित की जाएगी जो भी उप-विधि के लागू प्रावधानों के अनुसार लागू हो।						
(ख)		छात्रा / दिव्यांग (दिल्ली)- इस श्रेणी(यों) के अंतर्गत आने वालों के लिए					
	i.	विषयों का चयन ड्रॉप-डाउन सूची के अन्सार किया जाना चाहिए।					
	II.	आंतरिक आकलन घटक वाले विषयों में थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से 100 अंकों में से आने वाले में परिवर्तित किया जाएगा। अंकों को थ्योरी अंकों में जोड़ा जाएगा।					
(ग)	अति	नेरिक्त विषय - श्रेणी के अंतर्गत आने वालों के लिए					
	i. अनुलग्नक 5 में दी गई विषयों की सूची में से कोई एक विषय, जो पहले नहीं लिया गया था।						
	ii.	आंतरिक आकलन घटक वाले विषयों में थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से 100 अंकों में से आने वाले में परिवर्तित किया जाएगा। अंकों को थ्योरी अंकों में जोड़ा जाएगा।					







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



फोटोग्राफ स्कैन करने और अपलोड करने के चरण

<u>फ़ोटो का प्रकार</u>



फ़ोटो पूर्ण रंग में और उच्च ग्णवता की होनी चाहिए ताकि कोई पिक्सेल न दिखाई दे।

फोटो पिछले 6 महीनों में लिया गया हो।

आवेदकों को अपनी फोटो और हस्ताक्षर की जेपीजी फ़ाइल जो 40 केबी से अधिक नहीं हो, अपलोड करना अपेक्षित हैं।

सिर सीधे कैमरे के सामने होना चाहिए, यह केंद्रित हो और 80% छवि निर्मित करता हो।

फोटो बालों के थोड़ा ऊपर से छाती के मध्य भाग तक खींची हुई होनी चाहिए।

एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति रखें - मुस्कुराया जा सकता है।

अभ्यर्थी स्पष्ट फोकस में हो और पृष्ठभूमि से अलग दिखाई दे।

सॉलिड कलर बैकग्राउंड श्रेष्ठ हैं।

आंखें ख्ली रहनी चाहिए और कैमरे को देखना चाहिए।

चश्मे को तब तक रंगा नहीं जाना चाहिए जब तक कि इसे चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दैनिक रूप से न पहना जाए।

अभ्यर्थी का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



अनुलग्नक 4

कक्षा X (प्राइवेट अभ्यर्थी) के लिए फॉर्म भरने का शुल्क और समय सारणी

शुल्क स्लैब	प्रति छा	फॉर्म ऑनलाइन प्रस्तुत		
		(भारतीय रुपए में)	-	करने और शुल्क जमा
				करने की अनुसूची
	भारत	नेपाल	अन्य देश	
	05 विषयों के लिए	05 विषयों के लिए	05 विषयों के लिए	
परीक्षा शुल्क	रु. 1500/-	रु. 1500/-	रु. 10000/-	
	प्रत्येक अतिरिक्त	प्रत्येक अतिरिक्त	प्रत्येक अतिरिक्त	
	विषय के लिए रु.	विषय के लिए रु.	विषय के लिए रु.	
	300/- प्रति विषय	1000/- प्रति विषय	2000/- प्रति विषय	12.09.2023
कम्पार्टमेंट	प्रति विषय रु. 300/-	प्रति विषय रु.	प्रति विषय रु.	(मंगलवार)
/अतिरिक्त		1000/-	2000/-	से
/सुधार के				11.10.2023
लिए परीक्षा				(बुधवार)
शुल्क				
प्रैक्टिकल	प्रत्येक प्रैक्टिकल/	प्रत्येक प्रैक्टिकल/	प्रत्येक प्रैक्टिकल/	
शुल्क	परियोजना कार्य	परियोजना कार्य	परियोजना कार्य	
	विषय के लिए	विषय के लिए	विषय के लिए	
	रु.150/-	रु.150/-	रु.350/-	
विलंब शुल्क	उपरलिखित निर्धारित	शुल्क के अतिरिक्त प्री	ते अभ्यर्थी रु. 2000/-	12.10.2023
सहित		का विलंब शुल्क		(गुरुवार) से
		-		19.10.2023
				(गुरुवार)

- > अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।
- हिष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि, यदि अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जमा किया जाता है, तो विलंब शुल्क लागू होगा।
- > सभी गतिविधियां ऑनलाइन है, अतः अवकाश में भी की जा सकती है।
- > यह ध्यान दिया जाए कि फॉर्म जमा करने और शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि समान है।







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)





शुल्क भुगतान

1. सीबीएसई द्वारा सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल निम्नलिखित डिजिटल भुगतान माध्यमों से स्वीकार किया जाता है:-

भारत में- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ नेफ्ट/ आरटीजीएस

विदेश- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/स्विफ्ट

- 2. चूंकि स्विफ्ट अद्यतन में 2-3 दिन लग सकते हैं, अत:, भारत के बाहर स्थित छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क के भुगतान सहित अपनी प्रक्रिया को इस तरह से पूरा करें कि उनकी प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले समाप्त हो जाए।
- 4. बैंक से संबंधित लेनदेन या सर्वर पर शुल्क अद्यतन न होने की स्थिति में, छात्रों को संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था। बैंकों के संपर्क विवरण सीबीएसई की वेबसाइट पर दिए गए हैं। आम तौर पर, बैंक को शुल्क अद्यतन न होने के मामले को हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी, इसलिए बैंक से संपर्क करने से पहले इन्हें तैयार रखे:
 - क) भुगतान का तरीका
 - ख) शुल्क संदर्भ संख्या
 - ग) जमा की गई राशि
 - घ) जमा करने की तिथि
 - इ) शाखा जहां राशि जमा की गई थी
 - च) बैंक संदर्भ संख्या (बैंक खाते में दर्शाई गई लेनदेन आईडी)
 - छ) आपका संपर्क सूत्र (Contact Number)







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



अनुलग्नक-5

ध्योरी और आंतरिक आकलन अंकों वितरण सहित विषय (कक्षा X)

क्रम 	विषय	विषय नाम	दी गई अनुमति	अंक		कुल अक	उत्तीर्णता
सं.	कोड			थ्योरी	प्रै/प्रोज/ आईए	अक	अंक
1.	002	#/1 हिन्दी कोर्स- ए	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
2.	003	#/2 उर्दू कोर्स- ए	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
3.	004	पंजाबी	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
4.	005	बंगाली	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
5.	006	तमिल	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
6.	007	#/3 तेलुग्	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
7.	800	सिंधी	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
8.	009	मराठी	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
9.	010	गुजराती	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
10.	011	मणिपुरी	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
11.	012	मलयालम	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
12.	013	उड़िया	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
13.	014	असमिया	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
14.	015	कन्नड्	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
15.	016	अरबी	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
16.	017	तिब्तन	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
17.	018	फ्रेंच	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
18.	020	जर्मन	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33









(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

19.	021	रशियन	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ सुधार	80	20	100	33
20.	023	पर्शियन (फारसी)	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
21.	024	नेपाली	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ सुधार	80	20	100	33
22.	025	लिम्बू	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	80	20	100	33
23.	026	लेपचा	प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ सुधार	80	20	100	33
24.	031	#/4 कर्नाटक संगीत (वोकल)	दृष्टिबाधित (visually Impaired)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	30	70	100	33
25.	032	#/4 कर्नाटक संगीत संगीत मेल. इन्सड्मेंट	दृष्टिबाधित (visually Impaired)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	30	70	100	33
26.	033	#/4 कर्नाटक संगीत संगीत पर.	दृष्टिबाधित (visually Impaired)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	30	70	100	33
27.	034	#/4 हिंदुस्तानी संगीत (वोकल)	दृष्टिबाधित visually Impaired)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	30	70	100	33
28.1	035	#/4 हिंदुस्तानी संगीत मेल. इन्सड़्मेंट	दृष्टिबाधित (visually Impaired)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	30	70	100	33
29.	036	#/4 हिंदुस्तानी संगीत पर. इन्सड्टमेंट	दृष्टिबाधित (visually Impaired)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	30	70	100	33
30.	041	#/5 गणित स्टैंडर्ड	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
31.	049	पेंटिंग	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	30	70	100	33
32.	064	गृह विज्ञान	प्राइवेट बालिका/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ स्धार	70	30	100	33
33.	076	नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी)	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	70	30	100	33
34.	085	#/1 हिन्दी कोर्स-बी	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ सुधार	80	20	100	33
35.	086	विज्ञान	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	80	20	100	33
36.	087	सामाजिक विज्ञान	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ सुधार	80	20	100	33







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

			55 4 0 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 				
37.	089	#/3 तेलुग्-तेलंगाना	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्ट./ सुधार				
38.	090	प्रायोगिक रहित विज्ञान	प्राइवेट अभ्यर्थी	80		100	33
39.	092	बोड़ो	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्ट./ सुधार				
40.	093	तांग खुल	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्ट./ सुधार				
41.	094	जापानी	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्टः/ सुधार				
42.	095	भूटिया	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्टः/ सुधार				
43.	09 6	स्पेनिश	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्टः/ सुधार				
44.	097	कश्मीरी	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्टः/ सुधार				
45.	098	मिज़ो	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्टः/ सुधार				
46.	099	बहासा मेलायु	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/	80	20	100	33
			कम्पार्ट./ सुधार				
47.	122	संस्कृत	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	80	20	100	33
48.	131	राई	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ सुधार	80	20	100	33
49.	132	गुरुंग	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	80	20	100	33
50.	133	तमांग	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
51.	134	शेर्पा	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
52.	136	थाई	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
53.	154	#/6 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	70	30	100	33
54.	165*	कम्प्युटर अप्लीकेशन	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	50	50	100	33
55.	184	अंग्रेजी (भाषा एवं साहित्य)	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
56.	241	#/5 गणित बेसिक	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ सुधार	80	20	100	33









(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

57.	254	#/6 एलिमेंट्स ऑफ बुक किपिंग एंड अकाउंट	प्राइवेट/अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्टः/ सुधार	70	30	100	33
58.	303	#/2 उर्दू कोर्स -बी	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	80	20	100	33
59.	401	रिटेल	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
60.	402*	इन्फॉर्मेशन टेकनोलॉजी	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
61.	403	संरक्षा (सेक्युर्टी)	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ स्धार	50	50	100	33
62.	404	ऑटोमोटिव	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
63.	405	इंटरोडक्शन टु फाइनैन्शल मार्केट	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
64.	406	इंटरोडक्शन टु टूरिज़्म	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
65.	407	ब्यूटी एंड वेलनेस	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
66.	408	एग्रिकल्चर (कृषि)	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
67.	409	फूड प्रोडक्शन (खाद्य उत्पादन)	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
68.	410	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
69.	411	बैंकिंग एंड इन्शुरेंस	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
70.	412	मार्केटिंग एंड सेल्स	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
71.	413	हैल्थ केयर	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
72.	414	अपेयरेल (परिधान)	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
73.	415	मल्टी-मीडिया	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
74.	416	मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
75.	417*	आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम मेधा)	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33
76.	418	फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार	50	50	100	33







(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

Ī	77.	419	डाटा विज्ञान	अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./	50	50	100	33
				स्धार				

नोट:

#/1 हिंदी के लिए 02 विषय कोड में से कोई एक

#/2 उर्दू के 02 विषय कोड में से कोई एक

#/3 तेलुगु के 02 विषय कोड में से कोई एक

#/4 संगीत के 06 विषय कोड में से कोई एक

#/5 गणित के 02 विषय कोड में से कोई एक

#/6 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस और एलिमेंट्स ऑफ बुक किपिंग के लिए 02 विषय कोड में से कोई एक

*165, 402 और 417 कोड सहित तीन विषयों में से- केवल एक विषय की पेशकश की जा सकती है।



